बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी अनुदेश

बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय अथवा जिनकी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा विचाराधीन है, की कक्षा - 9,10,11 व 12 में प्रवेश देने से पूर्व शाला प्रधान निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखें।

1.1 कक्षा - 9 में प्रवेश :- निम्नालिखित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा - 9 में प्रवेश दिया जा सकता है, यदि उन्होंने -

>> इस बोर्ड के क्षेत्राधीन सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा 9 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी है।

>> अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 10 वर्षीष पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा-8 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा कक्षा 9 में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा 9 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हो।

>> बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में वे अभ्यर्थी प्रवेश योग्य होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा वर्ष 2011 तक स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण/कक्षोन्नति/प्रोन्नत की हो तथा वर्ष 2011 के पश्चात् नियमित अथवा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त अंकतालिका या प्रमाण पत्र या प्रगति पत्र के आधार पर उत्तीर्ण / कक्षोन्नति / प्रोन्नत / क्रमोन्नत की हो।

1.2 कक्षा- 10 माध्यमिक तथा प्रवेशिका में प्रवेश :- निम्नांकित छात्र/छात्राओं को शाला की कक्षा-10 में प्रवेश दिया जा सकता है यदि उन्होंने -

कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा /2010/सैल-8/716दिनांक 07.07.10 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.05.10 के प्रस्ताव संख्या - 1,2,3 एवं 6 की अनुशंषा पर बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.10 की स्वीकृति अनुसार बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2011 की परीक्षा से नियमों में निम्नानुसार संशोधन/प्रावधान किये गये है।

1. जो विद्यार्थी कक्षा-9 अनुत्तीर्ण हो एवं माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षाथ्री के रूप में प्रविष्ठ होकर अनुत्तीर्ण रहा है, उसे कक्षा-10 में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. कक्षा-9 से 12 तक नियमों में पुन: प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा में बन्धन को समाप्त कर दिया गया है।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. नियमित परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु उपस्थिति में शाला प्रधान को प्रदत्त छूट 15 मीटिंग से बढ़ाकर 25 मीटिंग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अब कोई छूट बोर्ड स्तर पर नहीं दी जावेगी। शाला प्रधान कुल 25 मीटिंग तक की छूट अपने स्तर पर देकर इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेंगे।
5. विमंदित परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय/श्रुत लेखक दिया जाएगा।

(अ) इस बोर्ड के क्षेत्राधीन सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़कर कक्षा- 9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत स्थानान्तरित विद्यार्थी हो।

(ब) अन्य बोर्ड द्वारा माध्यमिक के समकक्ष 10 वर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित परीक्षा की कक्षा-9 उत्तीर्ण कर ली हो अथवा उस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों अथवा कक्षा-10 में अध्ययनरत प्रवर्जित विद्यार्थी हों।

(स) माध्यमिक परीक्षा में नियमित रूप से प्रविष्ट हो, अनुत्तीर्ण रहने के पश्चात् अध्ययन छोड़ दिया हो अथवा जिन्हे बोर्ड ने किन्हीं कारणों से वंचित कर दिया हो और यदि वे विवर्जित अवधि के पश्चात् कक्षा-10 में पुन: प्रवेश लेना चाहे।

(द) स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में पूर्व वर्षो में इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में अधिक से अधिक दो विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो और इन विषयों में कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तथा कुल प्राप्तांको का योग 30 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

1.3 <u>उच्च माध्यमिक की कक्षा 11 में प्रवेश</u> :- निम्नांकित छात्र/छात्राओं को उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने-

(अ) नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा/पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ब) इस बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण की हो।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा अनु. 1.7(ब) के अनुरूप उत्तीर्ण की हो और पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

ध्यातव्य :

(अ) निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है:-

>> माध्यमिक परीक्षा कक्षा-9 या 10 में प्रवेश हेतु।

>> माध्यमिक परीक्षा की किसी भी श्रेणी यथा सम्पूर्ण विषय, अतिरिक्त विषय आदि की परीक्षा हेतु।

परीक्षा समिति दिनांक 27.04.2013 के प्रस्ताव संख्या-7 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06.06.2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2013 की पूरक परीक्षा से पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। यह व्यवस्था बोर्ड की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के लिये लागू होगी।

>> जिन छात्रों ने माध्यमिक परीक्षा इस बोर्ड से उत्तीर्ण की हो और ऐसे छात्र कक्षा-11 अथवा कक्षा -12 में अन्य बोर्ड से अध्ययन कर पुन: इस बोर्ड की परीक्षा कक्षा-11 अथवा कक्षा-12 में प्रवेश लेते है तो बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सैल 8/716 दिनांक 07.07.10 पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है।

>> माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त विषय की परीक्षा (श्रेणी 4) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

(ब) निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है-

संस्था प्रधान परीक्षार्थी आवेदन-पत्र अग्रेषित करते समय पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न कराएं। स्वयंपाठी के रूप में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी भी अपने परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे-

(i) बोर्ड कार्य क्षेत्र से बाहर के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा-11 में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध विद्यालय में आवेदन किया।

(ii) अन्य बोर्ड से कक्षा-11 की गृह परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12में प्रवेश लेने आये।

नियम/निर्देश के सम्बन्ध में शंका - समाधान हेतु कार्यालय में सम्पर्क करें।

कक्षा 11 में प्रवेश हेतु अन्य निर्देश :-

1) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा-11 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें।

2) पात्रता आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व शाला प्रधान अपने स्तर पर पूर्णतया संतुष्ट हों।

3) ऐसे योग्य छात्र/छात्राऐं जो विदेश के हो और जिन्होंने पब्लिक परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल शिक्षण संस्था की कक्षा-10 परीक्षा ही उत्तीर्ण की हो, वे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश लेना चाहें तो इन मामलों को बोर्ड के निर्णयार्थ प्रेषित किया जाए।

4) अन्य बोर्ड से माह दिसम्बर में कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्रों को यदि शाला प्रधान द्वारा छात्र हित में परिणाम घोषणा से पूर्व ही, उसी सत्र में कक्षा-11 में अस्थायी प्रवेश दे दिया जाता है तो उन छात्रों द्वारा कक्षा-10 उत्तीर्ण होने पर शाला प्रधान के अनुशंषा पत्र के आधार पर कक्षा-11 में प्रवेश हेतु कार्यालय स्तर पर शाला प्रलेख जांचोपरान्त सही पाये जाने पर ही पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।

1.4 उच्च माध्यमिक की कक्षा-12 में प्रवेश :- निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने -

(i) इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण कर ली हो।

(ii) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा समान स्तर की मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो।

(iii) अन्य बोर्ड के क्षेत्राधीन में विद्यालय से कक्षा-11 की गृह परीक्षा उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों में उत्तीर्ण की हो इस बोर्ड के क्षेत्राधिकार में कक्षा-12 में प्रवेश की पात्रता रखता हो।

(iv) बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-11 में प्रवेश पात्रता होते हुए भी अन्य

बोर्ड/विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में 10+2 योजनान्तर्गत विद्यालय से कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा-12 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेना होगा।

नोट : 1) जो विद्यार्थी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश योग्य नहीं है वे कक्षा-12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

2) कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा- I/सैल-8/731 दिनांक 29.08.11 अनुसार वर्ष 2012 की परीक्षाओं में कक्षा - 9 में उत्तीर्ण छात्र प्रवेशिका परीक्षा में एवं कक्षा-11 में उत्तीर्ण छात्र वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रवेश योग्य माना जावेगा। इसी प्रकार प्रवेशिका कक्षा-9 में उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षाए एवं वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा-11 उत्तीर्ण छात्र उच्च माध्यमिक परीक्षा के योग्य माना जावेगी।

3) इस बोर्ड की प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा क्रमशः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।

1.5 <u>वरिष्ठ उपाध्यक्ष की कक्षा-11 में प्रवेश</u> :- निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उस वर्ग और विषयों मे प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने-

(अ) बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण कर ली हो।

(ब) संस्कृत विषय की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(स) उच्च माध्यमिक की कक्षा-11 में प्रवेश की पात्रता रखते हो।

(द) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा अंग्रेजी विषय सहित, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत प्राप्तांको सहित उत्तीर्ण हो।

- सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वारायणी की पूर्व मध्यमा परीक्षा। (वर्ष 2001 तक)
- बिहार संस्कृत समिति पटना/संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा की पूर्व मध्यमा परीक्षा।
- बिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ की प्रवेशिका परीक्षा।
- विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/बोर्ड की 10वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा (संस्कृत अनिवार्य/वैकल्पिक विषय सहित)
- पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञ परीक्षा।

(य) उच्च माध्यमिक परीक्षा की कक्षा-11 में प्रवेश हेतु जो शर्ते है वही वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश के लिए मान्य होगी।

1.6 <u>वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-12 में प्रवेश</u> :- निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को शाला में उन वर्ग विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है, जिनमें शाला मान्यता प्राप्त हो और जिन्होंने नियमित अथवा स्वयंपाठी रूप से इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक परीक्षा/2010/सेल 8/716 दिनांक 07.07.10 द्वारा आयु सीमा का

प्रावधान विलेषित कर दिया गया है।

(अ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा-11 की संस्कृत विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण कर लो हो।

(ब) वरिष्ठ उपाध्याय की कक्षा-11 में प्रवेश की पात्रता होते हुए भी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में विद्यालयों के वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय अथवा समान स्तर के विद्यालय से 10+2 योजनान्तर्गत कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(स) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों की माध्यमिक परीक्षा/प्रवेशिका अथवा समान स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर बोर्ड की मान्यता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय संस्था में बोर्ड द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश लेकर कक्षा-11 उत्तीर्ण की हो।

(द) जो विद्यार्थी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश योग्य नहीं हैं वे कक्षा-12 में भी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

1.7 <u>पात्रता प्रमाण पत्र</u> :-

(अ) अनिवार्यता : बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर अर्थात अन्य बोर्ड विश्वविद्यालयों से प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने से पूर्व अथवा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में स्वयं परीक्षार्थी के रूप में आवेदन करने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।

विशेष : यदि कोई शाला प्रधान बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश दिता है या स्वयंपाठी परीक्षार्थी का आवेदन पत्र बिना पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किये अग्रेषित करता है तो नियमानुसार परीक्षार्थी का आवेदन पत्र निरस्त होने पर समस्त प्रकार की जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।

(ब) पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का आधार :- अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालयो ंसे प्रवर्जित छात्रों को राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र निम्नानुसार आधार पर जारी किया जा सकता है।

>> संबंधित बोर्ड से उस बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण घोषित होना अनिवार्य है।

>> संबंधित बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

>> यदि कक्षा-12 में प्रवेश वांछित है तो उपर्रोक्त बिन्दु (ई) के साथ-साथ कक्षा-11 में उस बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

>> यदि अभ्यर्थी के किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है और फिर भी वह उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसको कुल निर्धारित पूर्णाकों के लिए एक प्रतिशत सानुग्रह अंक के रूप में एक या अधिक विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होंगे। इसके आधार पर पात्रता की जांच

होगी। सानुग्रह अंक कुल विषयों के लिए निर्धारित पूर्णांक के आधार पर एक प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सानुग्रह अंको का लाभ पहले से ही छात्र को दे रखा है, तब भी यह देखा जायेगा कि इस बोर्ड के एक प्रतिशत सानुग्रह अंक देने से उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार छात्र को कुल सानुग्रह अंक का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंको का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियनानुसार छात्र की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालय के मामलों में लागू माना जायेगा। चाहे वहां सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं किन्तु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु सानुग्रह अंको का लाभ देय नहीं होगा।

(स) <u>पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की विधि</u> :- शाला में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार कार्यवाही करनी/करानी चाहिये।

>> कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता मात्र कक्षा-11 (नियमित) अथवा कक्षा-12 नियमित/स्वयंपाठी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए लेना अनिवार्य है।

>> नियमित प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं व्यक्तिशः बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करे किन्तु स्वयंपाठी विद्यार्थी इस हेतु अपना आवेदन-पत्र सीधे बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें।

>> कक्षा 11 में नियमित परीक्षार्थियों की पात्रता प्रमाण पत्र लेने की प्रारम्भ तिथि 01 जुलाई से होगी तथा इस हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। इस प्रकार कक्षा-12 के नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र लेने की प्रारम्भ तिथि 01 मई से होगी और इस हेतु अन्तिम तिथि बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियों के अनुरूप होगी।

>> पात्रता प्रमाण पत्र जिस परीक्षा एवं जिस वर्ष के लिए जारी किया जाएगा वह उसी वर्ष व उसी परीक्षा के लिए मान्य होगा। यदि पात्रता प्रमाण का उस वर्ष प्रयोग नहीं किया जाता है और अंतराल (गेप) हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पात्रता प्रमाण पत्र पुनः लेना होगा। कक्षा-11 नियमित के लिए जारी पात्रता प्रमाण पत्र स्वतः कक्षा-12 नियमित के लिए मान्य होगा।

>> ऐसे विद्यार्थी जो किसी अन्य बोर्ड से कक्षा-10 अथवा कक्षा-11 उत्तीर्ण करके कक्षा-11 अथवा कक्षा-12 में नियमित प्रवेश चाहते है और उनके उत्तीर्ण करने एवं पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मध्य यदि वर्ष का अन्तर है तो उन अंतर वर्षो हेतु 10 रूपये के नॉनज्यूडीशियल स्टॉम्प पर एक शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि प्रार्थी ने उक्त अवधि में कहीं भी अध्ययन नहीं किया है। इस शपथ पत्र को नोटरी द्वारा भी सत्यापित कराना होगा।

>> पात्रता प्रमाण पत्र एक बार जारी करने के उपरान्त उसकी डुप्लीकेट प्रति बोर्ड द्वारा देय नहीं होगी

क्योंकि जारी पात्रता प्रमाण पत्र का उपयोग उस वर्ष विशेष के लिए ही मान्य है लेकिन यदि किसी विद्यार्थी का पात्रता प्रमाण पत्र खो गया हो तो उसे निर्धारित शुल्क जमा कराकर नया पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

>> आवेदन पत्र के साथ अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की कक्षा-10 माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण मूल अंकतालिका, प्रवजन प्रमाण पत्र अथवा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो संलग्न की जाए। यदि कक्षा-12 में नियमित प्रवेश चाहिए तो कक्षा-11 की गृह परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका भी प्रस्तुत करें। (अन्य बोर्ड के कक्षा-12 अनुत्तीर्णर विद्यार्थी को कक्षा-11 की मूल अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी।)

>> शाला प्रधान पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व अनुदेशिका के अनु. 17 (ब) में उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत संतुष्ट हो ले कि विद्यार्थी वास्तव मे प्रवेश के लिए पात्र है। पात्र होने की स्थिति में अपनी अनुशंसा सहित अग्रेषित करें।

>> अग्रेषित आवेदन पत्र के साथ बिन्दु संख्या 7 में वर्णित मूल प्रलेख और निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क का सचिव मा.शि.बोर्ड के नाम क्रास भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट भेजें अथवा बोर्ड कार्यालय के काउंटर पर नकद की रसीद संलग्न करें।

>> मिथ्या तथ्यों अथव गलत प्रलेखों के आधार पर जारी कराए गए पात्रता प्रमाण पत्र को बार्ड द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा और उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकती है।

>> किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा-12 में उत्तीर्ण अथव उच्च कक्षा उत्तीर्णोपरांत इस बोर्ड से सम्बन्ध शालाओं की कक्षा-12 में प्रवेश नहीं देने के कारण पात्रता प्रमाण पत्र भी देय नहीं होगा।

(द) <u>निम्नांकित को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं</u> :- निम्नांकित अभ्यर्थी पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय में आवेदन नहीं करें क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है-

>> जो माध्यमिक परीक्षा हेतु कक्षा-9 या 10 में प्रवेश चाहते है।

>> माध्यमिक परीक्षा के अतिरिक्त विषय की परीक्षा (श्रेणी 4) में सम्मिलित होना चाहते है।

>> इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अन्य बोर्ड की कक्षा-11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा-12 अनुत्तीर्ण होने पर पुनः राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में क्रमशः कक्षा-11 अथवा 12 में प्रवेश चाहते है।

(य) <u>कार्यालय आदेश क्रमांक</u> :- परिक्षा-11/पात्रता प्रकोष्ठ/2366 दिनांक 18.05.2012 के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र की दरें निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कक्षा-11	शुल्क (रू.)
1.	30 नवम्बर तक सामान्य शुल्क	100
2.	30 नवम्बर के पश्चात् विलम्ब शुल्क रूपये 200/- सहित कुल रूपये 300/-	300

क्र.स.	कक्षा-12	शुल्क (रू.)
1.	सामान्य परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	100
2.	दोगुने परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	200
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क से आवेदन पत्र भरने की तिथि तक	300
4.	विशेष परिस्थितियों में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो	500

नोट:- (1) कार्यालय द्वारा परीक्षा की तिथियाँ प्रतिवर्ष अलग से घोषित की जाती है।

(2) बिना पात्रता प्रवेश देने वाले विद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी रू. 1000/- दण्ड राशि भी ली जायेगी।

(3) ऐसे विद्यार्थी जिसने कक्षा-11 में पात्रता प्रमाण पत्र नहीं लिया व कक्षा-11 उत्तीर्ण कर अन्य विद्यालय में कक्षा-12 में प्रवेश चाहता है, अन्य विद्यालय उसे बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के प्रवेश न दे तथा ऐसी स्थिति में स्वयं विद्यार्थी कक्षा-12 हेतु पात्रता प्रमाण पत्र लेने आवे तो रू. 1000/- दण्ड राशि परीक्षार्थी से लिया जाना है।

(4) अन्य बोर्ड से माह दिसम्बर में कक्षा-10 उत्तीर्ण छात्रों को यदि शाला प्रधान द्वारा छात्र हित में परिणाम घोषणा से पूर्व ही, उसी सत्र में कक्षा-11 में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया है तो उन छात्रों द्वारा कक्षा-10 उत्तीर्ण होने पर शाला प्रधान के अनुशंषा पत्र के आधार पर, कक्षा-11 में प्रवेश हेतु कार्यालय स्तर पर शाला प्रलेख जांचोपरान्त सही पाये जाने पर ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

1.8 <u>अन्य विद्यालयों से स्थानान्तरित विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) आदि प्रलेखों की जांच</u> :- फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की रोकथाम के लिये निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-

(1) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के विद्यालय से स्थानांतरित विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टी.सी.) एवं मूल अंकतालिका, उन्हें जारी करने वाले पूर्व शाला प्रधान को भेजकर भलीभांति सत्यापन कराने के बाद ही, उन्हें संबंधित कक्षा में स्थाई प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाये।

(2) जिन परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका प्रान्तीय भाषा में है, वे विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका अंग्रेजी भाषा में संबंधित बोर्ड से सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें ऐसे प्रपत्रों पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

2. <u>अध्ययन विद्यार्थी को विषय/वर्ग परिवर्तन में छूट</u> :-

(1) कक्षा 11 में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राऐं यदि विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें तो यह अनुज्ञा उस सत्र में कभी भी प्रदान की जा सकती है, जिसकी अनुज्ञा शाला प्रधान स्वयं दे सकेंगे।

(2) कक्षा-11 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यदि छात्र/छात्रा विषय/वर्ग परिवर्तन करना चाहें और विद्यालय विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए बोर्ड को परीक्षार्थी आवेदन पत्र भेजने से पूर्व अनुमति देना चाहे तो बोर्ड कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार कक्षा-9 व 10 में भी छात्र/छात्राओं को तृतीय भाषा विषय में परिवर्तन की अनुमति शाला प्रधान अपने स्तर पर दे सकते है।

(4) उच्च माध्यमिक (व्यावसयिक) योजना के अन्तर्गत कक्षा-11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक योजना में कक्षा-12 में प्रवेश दिया जा सकता है।

(5) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने के बाद यदि स्वयंपाठी छात्र विषय परिवर्तन करना चाहें तो ऐसे प्रार्थना-पत्र संबंधित अग्रेषित अधिकारी के मार्फत मय तथ्यात्मक प्रलेखों के एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय को 30 नवम्बर तक भेज सकते है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. <u>नियमित छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति</u> :-

सामान्यत: विद्यालयों में उन्हीं विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिन विषयों के अध्यापन हेतु विद्यालय मान्यता प्राप्त है, किन्तु निम्नानुसार एक विषय में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकती है।

(1) माध्यमिक स्तर पर नियमित विद्यार्थियों को तृतीय भाषा के रूप में स्वीकृत विषयों में से कोई विषय, यदि वह विषय अध्ययनरत विद्यालय में नही पढ़ाया जा रहा है, चयन कर स्वअध्ययन के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के अनुज्ञा शाला प्रधान के स्तर पर दी जा सकती है। इस हेतु जारी आदेश की प्रति तुरन्त इस कार्यालय की गोपनीय शाखा को भेज देंवे।

(2) बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों को भी अधिकतम एक विषय में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकती है शाला प्रधान इसकी पुष्टि बोर्ड से करायेंगे किन्तु प्रायोगिक परीक्षा वाले केवल निम्न विषयों में स्वअध्ययन की अनुमति दी जा सकेगी।

अ) जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है, उन विषयों में सामान्यत: स्वअध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु निम्नांकित विषयों पर प्रायोगित कार्य निश्चित होने पर भी स्वअध्ययन करने की अनुज्ञा उपरोक्तानुसार प्रदान की जा सकती है।

1. संगीत (कला वर्ग) 2. गृह विज्ञान (कला वर्ग) 3. टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग)

ब) कक्षा-12 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय में स्वअध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा दी जा सकती है। उपरोक्त छात्रों के अन्य विद्यालय से प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रायोगिक परीक्षा के समक्ष परीक्षक/शाला प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।

स) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.04.2013 के प्रस्ताव संख्या 12 व बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06.06.2013 के प्रस्ताव संख्या 10 में यथावत स्वीकार किया गया है कि उच्च माध्यमिक की प्रायोगिक परीक्षा में 'परीक्षार्थियों के नियम एवं समय पर अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने पर उसकी

परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैंच के साथ शाला प्रधान की अनुमति से ही सम्पन्न करवा ली जावे। अन्यथा स्थिति में परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा।

3) एक विषय में स्वअध्ययन छात्र/छात्राओं को उस विषय में सत्रांक अनुपातिक रूप में स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान दिये जायेंगे।

4) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के छात्र/छात्राओं को भी स्वअध्ययन को अनुज्ञा उपरोक्तानुसार देय है।

5) कार्यालय द्वारा जारी आदेश :- परीक्षा-11/ई. एक्स/8/पात्रता 2851 दिनांक 30.05.2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र रू. 2000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र रू. 10,000/- की (छात्र संख्या-10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।

6) राजकीय विद्यालय होने पर उच्च माध्यमिक परीक्षा की कक्षा में केवल अल्प भाषा यथा पंजाबी/गुजराती/उर्दू/सिन्धी आदि में स्वअध्ययन हेतु अधिकतम छात्र संख्या में छूट प्रदान की जाती है। (कार्यालय द्वारा जारी आदेश - मा.शि.बो./परीक्षा-11/2012/815/ दिनांक 25.08.2012)

7) छात्र संख्या 1 से 10 तक हो तो प्रति परीक्षार्थी एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जाएगी। इसका शुल्क परीक्षा II द्वारा प्राप्त किया जाएगा। छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर कार्यालय द्वारा जारी आदेश - 11/पात्रता/2851 दिनांक 30.05.2012 एवं परीक्षा द्वितीय/पात्रता/815 दिनांक 25.08.2012 के अनुरूप राशि ली जाएगी। (कार्यालय आदेश-परीक्षा-1/सैल-8/3 दिनांक 06.05.2013)

4. <u>नियमित परीक्षार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति</u> :-

बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी को विद्यालय सत्र में आयोजित कुल कक्षा पारियों में से न्यूनतम 75 प्रतिशत मीटिंग में उपस्थित रहना आवश्यक है। विद्यालय कार्य दिवस में सामान्यत: दो मीटिंग मध्यान्तर से पूर्व और पश्चात् आयोजित होती है। विद्यालयों में कक्षा-10 व कक्षा-12 जिसमें उपस्थिति के आधार पर बोर्ड परीक्षा मं प्रवेशाज्ञा दी जाती है शिक्षण सत्र मे मीटिंग की गणना निम्नानुसार की जाये-

1) सत्र में 8 जुलाई से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा तिथि से 30 दिन पूर्व तक जितनी संख्या में कक्षा मीटिंग आयोजित हो, उसके आधार पर 75 प्रतिशत की गणना कर उपस्थिति निर्धारित की जाये। यदि किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा स्थगित होती है, फिर भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पूर्व तिथि के आधार पर गणना की जायेगी।

2) किन्हीं कारणों से बोर्ड परीक्षा परिणाम यदि शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के बाद घोषित हो, अथवा पूरक परीक्षा, शेष पूरक परीक्षा या किन्हीं अन्य कारणो से परिणाम बाद में घोषित किया जाये अथवा किन्हीं कारणों से परिवर्तित हो जाए तो ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा में परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर प्रवेश ले सकते है। ऐसे मामलों में उपस्थिति की गणना प्रवेश के दिन से बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम, परिवर्तित परिणाम तिथि 10 दिवस बाद जो भी पहले हो से की जाये।

3) यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरण वश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले तो उसकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

4) बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर अर्थात् अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवर्जित विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी मामलों में उनकी उपस्थिति की गणना बोर्ड के नियमानुसार की जायेगी ना कि उनकी प्रवेश तिथि से। किन्तु यदि किन्हीं छात्रों ने अन्य बोर्ड की मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्व प्रवेश ले रखा हो और बाद में स्थानान्तरण वंश बोर्ड की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय से उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

5) स्थानांतरित अथवा प्रवर्जित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाए और यदि उनकी उपस्थिति न्यून होने की संभावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें।

5. <u>परीक्षार्थियों के नाम, पिता के नाम एवं जन्मतिथि के संशोधन के सम्बन्ध में</u> :-

1) परीक्षार्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, यदि उससे सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत प्रवेश परीक्षा में छात्र के नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो सम्बन्धित शाला प्रधान द्वारा संशोधन हेतु सूचित किया जाए।

यदि अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अंकतालिका सहित प्रमाण पत्र में छात्र का नाम, पिता अथवा माता के नाम अथवा जन्मतिथि में परीक्षा आवेदन पत्र से भिन्न मुद्रित हुई हो तो जारी करने से पूर्व जांच की जाए तथा पृष्ठांकन किया जाए। यदि संशोधन अपेक्षित हो तो बोर्ड कार्यालय से सम्पर्क करें।

विशेष- (अ) परीक्षा समिति दिनांक 27.04.2013 के प्रस्ताव संख्या-3 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06.06.2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चित्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में रू0 100/- प्रति प्रलेख शुल्क लिया जाएगा।

2) बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की जन्मतिथि, नाम/उपनाम अथवा पिता का नाम/उपनाम माता के नाम/उपनाम आदि में सम्बन्धित वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक संशोधन स्वीकार किये जाएगे। इसके बाद के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा लेकिन बोर्ड कार्यालय स्तर पर बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की जांच में त्रुटि रहने की

पुष्टि होने पर दो वर्ष की अवधि के बाद भी संशोधन किया जा सकेगा।

विशेष:- (अ) परीक्षा समिति दिनांक 27.04.2013 के प्रस्ताव संख्या-5 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06.06.2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों से बोर्ड द्वारा निर्धारित संशोधन की अवधि के बाद परिक्षार्थियों के स्वयं के नाम/माता/पिता/उपनाम/फोटो एवं जन्म दिनांक आदि में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरण में बोर्ड नियमानुसार संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

3. परीक्षार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिये 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन हेतु 2वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं अथवा पिता/माता के नाम, उपनाम में वर्तनी अर्थात् स्पेलिंग अशुद्धि को सही करना चाहे तो सही स्पेलिंग अथवा वर्तनी के सम्बन्ध में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के साथ प्रलेखों कक्षा-8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन-पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों एवं शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रतियाँ के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा।

4. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों, में जन्मतिथि, छात्र का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् साधारणत: उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु केवल ऐसे मामलों में ही जहाँ पूर्व शाला की टी.सी. व परीक्षार्थी आवेदन-पत्र अग्रेषित करने वाली शाला के प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अन्तर हो अथवा प्रवेश प्रार्थना-पत्र से छात्र पत्रक में अथवा छात्र पत्रक से भेजे गये परीक्षार्थी आवेदन पत्र में विद्यालय द्वारा प्रविष्टियाँ करने में कोई अशुद्धि रह गई हो तो संबंधित शाला के मूल रिकॉर्ड अथवा स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश प्रार्थना-पत्र व पूर्व शाला की टी.सी. मय फोटो प्रतियों के जो कि शाला प्रधान द्वारा सत्यापित की गई हो के साथ जाँच हेतु इस कार्यालय में भेजने पर ही जन्मतिथि, छात्र/छात्रा के नाम, पिता के नाम अथवा प्रविष्टियों में सुधार करने पर विचार किया जा सकता है, अन्य किसी भी दशा में नहीं। निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर ही सुधार शाला अभिलेखों के आधार पर ही किया जा सकेगा। रिकॉर्ड की फोटो प्रतियाँ मान्य नहीं होगी। समय पर मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण वापस लौटा दिया जायेगा तथा सम्पूर्ण रिकॉर्ड सहित 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आगे फिर विचार नहीं किया जायेगा।

विशेष :- परीक्षा समिति दिनांक 27-04-2013 के प्रस्ताव संख्या-10 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 से परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जन्मतिथि में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश ही स्वीकार किये जायेंगे। इसके पश्चात् के आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. (1) परीक्षार्थी के नाम/मध्यनाम/उपनाम में, पिता का नाम/मध्यनाम/उपनाम व माता के नाम/मध्यनाम/उपनाम की वर्तनी में संशोधन के लिए 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार

बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में भी अन्तर है तो संशोधन 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। छात्र/छात्रा यदि अपने स्वयं/पिता/माता के नाम/मध्यनाम/उपनाम की वर्तनी को सही कराना चाहे तो संशोधन हेतु प्रधानाध्यापक की अनुशंषा के साथ कक्षा 8 की अंकतालिका, शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र एवं पूर्व शाला की टी.सी. इत्यादि मूल प्रलेखों सहित प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अथवा स्वयं के शपथ पत्र व शाला रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाये जाने पर निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तनी व स्पेस में संशोधन संबंधी विद्यार्थी के घोषणा पत्र तथा कोई शैक्षणिक दस्तावेज को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसके आधार पर किया जा सकेगा।

(2) संशोधन हेतु शुल्क नियमानुसार होगा-छात्र/छात्रा के नाम/पिता/माता का नाम में वर्तनी एवं स्पेस संशोधन	दो वर्ष तक कोई शुल्क नहीं न्यूनतम रू. 100/- छात्र की त्रुटि पाये जाने पर तत्पश्चात् अतिरिक्त रू. 50/- प्रतिवर्ष अधिकतम रू. 1000/-
छात्र/छात्रा मध्यनाम/उपनाम व पिता/माता का मध्यनाम/उपनाम हेतु	दो वर्ष तक कोई शुल्क नहीं न्यूनतम रू. 100/- छात्र की त्रुटि पाये जाने पर तत्पश्चात् अतिरिक्त रू. 100/- प्रतिवर्ष अधिकतम रू. 2000/-

विशेष नोट :- 1. परीक्षार्थी के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में वर्तनी अथवा संशोधन यदि माध्यमिक परीक्षा में कक्षा-8 के आधार पर, उच्च माध्यमिक परीक्षा में कक्षा-10 के आधार पर उसके अनुसार संशोधन चाहा गया है तो अधिकतम 2 वर्ष तक कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(अ) विद्यार्थी द्वारा अपने नाम, पिता/माता के नाम के साथ हरिजन/गिरीजन लगे उपनाम हो हटाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 1990 के अनुसार दो साल के प्रतिबंध में छूट देते हुए बिना शुल्क लिये ऐसे मामले में हरिजन/गिरीजन उपनाम हटाया जा सकेगा।

(ब) परीक्षा समिति दिनांक 28-4-2013 के प्रस्ताव संख्या-9 एवं बोर्ड अधिवेशन दिनांक 06-06-2013 के निर्णयानुसार वर्ष 2014 की परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्रों में जाति, श्रेणी (Cast Category) में संशोधन नहीं किया जायेगा।

(1) बोर्ड द्वारा ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्रों में नि:शुल्क संशोधन हेतु दी गई अवधि पश्चात् जाति (Cast Category) में संशोधन नहीं किया जायेगा।

(2) परीक्षा आवेदन पत्र में दी गई श्रेणियाँ (1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जन जाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष वर्ग) में से परीक्षार्थी केवल एक ही श्रेणी जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्तियों या अन्य किसी लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा।

(3) यदि परीक्षार्थी जाति की एक से अधिक श्रेणी से है तो उसमें से केवल एक श्रेणी, जिसका वह पुरस्कार/छात्रवृत्तियों या किसी अन्य लाभ लेना चाहता है, का चयन करेगा। उसे परीक्षा आवेदन पत्र में भरी गयी जाति श्रेणी में ही लाभ दिया जायेगा, अन्य में नहीं।

नोट :- एक ही छात्र/छात्रा से संबंधित अनेक संशोधन होने पर प्रत्येक संशोधन के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जायेगा।

6. यदि कोई नियमित छात्र/छात्रा अपनी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में संशोधन के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को बार्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की बिना विलम्ब शुल्क की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर दे और उनकी जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम में सुधार संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक हो जाए।
7. यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट होने के उपरान्त किसी संबंधी के गोद जाता है, तो कार्यालय के अभिलेख में उसके पिता का नाम के स्थान पर गोद गये संबंधी का नाम शपथ पत्र अथवा अन्य किसी भी आधार पर नहीं बदला जायेगा।
8. नियमानुसार कार्यालय अभिलेखों में छात्र के नाम/उपनाम/पिता का नाम/उपनाम/माता का नाम/उपनाम तथा छात्र की जन्मतिथि एक बार पंजीकृत हो जाने के पश्चात् शपथ पत्रादि/गजट में प्रकाशन कर देने के आधार पर संशोधन नहीं किया जायेगा।
9. शाला प्रधान छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि प्रमाणित करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माह अप्रैल, जून, सितम्बर एवं नवम्बर में जो कि 30 दिन के होते हैं तथा फरवरी माह के अतिरिक्त शेष माह 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होता है या लीप वर्ष का माह फरवरी 29 दिन का होता है, 30 दिन फरवरी माह के नहीं होते, इसका भली प्रकार ध्यान रखें। कई छात्रों के आवेदन पत्रों में उक्त माहों की तिथियाँ गलत दर्शायी जाती हैं।
10. कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक-परीक्षा-11/ई.एक्स/6/पात्रता 2851 दिनांक 30-5-2012 के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को स्वअध्ययन की अनुमति देने हेतु प्रथम वर्ष में विद्यालय पर प्रति छात्र रू. 2000/- की (छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी तथा अगले वर्ष यदि वही विद्यालय त्रुटि दोहराता है तो उस पर प्रति छात्र रू. 10,000/- की (छात्र संख्या 10 से अधिक होने पर) दण्ड राशि आरोपित होगी।

6. <u>मूल प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित) के संबंध में</u> :-
   1. छात्रों को मूल प्रमाण-पत्र वितरित करने से पूर्व प्रमाण-पत्रों में अंकित, समस्त प्रविष्टियाँ मुख्यत: छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि की शाला अभिलेखों से भली प्रकार से जांच करा लें और यदि प्रमाण-पत्रों में अंकित प्रविष्टियों में किसी प्रकार का अन्तर हो तो पूर्ण जानकारी सहित मूल प्रमाण-पत्र कार्यालय को संशोधनार्थ लौटा दें।
   2. छात्रों को प्रमाण पत्र देने से पूर्व शाला अभिलेखों में प्रमाण-पत्र वितरित किये छात्र का नाम, नामांक, वर्ष एवं परीक्षा तथा वितरित किये जाने की दिनांक का उल्लेख पृथक रूप से रजिस्टर में करें, तत्पश्चात् प्रमाण-पत्र के पिछले भाग पर वितरित करने की दिनांक हस्ताक्षर तथा विद्यालय की मुद्रा लगाकर

प्रमाण-पत्र छात्र को वितरित करें।

3. प्रमाण-पत्र शाला में होते ही संबंधित छात्र/छात्रा को सूचित कर दें कि उनके प्रमाण पत्र शाला में प्राप्त हो गये हैं और वे यथाशीघ्र इसे शाला से प्राप्त कर लें, छात्र यदि सूचना के पश्चात् भी प्रमाण-पत्र प्राप्त न करें तो अवितरित प्रमाण-पत्रों को 5 वर्ष पश्चात् इस कार्यालय को वापस लौटा दें।
4. समस्त प्रमाण-पत्रों को अपनी पूर्ण सुरक्षा में रखें व वर्ष के अन्त में संख्या का मिलान कर लें तथा जिन छात्रों का निधन हो गया है उन छात्रों के प्रमाण-पत्र कार्यालय को लौटा दें। प्रमाण पत्रों का पूर्ण हिसाब रखें।
5. शाला से लौटे हुए स्वयंपाठी छात्रों के अवितरित प्रमाण पत्र यदि कोई छात्र वापस मंगवाना चाहे तो वह पाँच वर्ष की अवधि तक बोर्ड कार्यालय को इस हेतु सादे कागज पर आवेदन जिसमें उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, वर्ष एवं नामांक लिखा हो मय शुल्क रू. 50/- (पोस्टल ऑर्डर) बोर्ड को सीधा भेज सकता है। नियमित छात्रों के प्रमाण-पत्र संबंधित शाला को तथा स्वयंपाठी छात्रों के प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर भिजवा दिये जायेंगे। कार्यालय में प्रमाण-पत्र विगत पाँच वर्षों के ही सुरक्षित रखे जायेंगे।
6. कार्यालय द्वारा श्रेणी-6 (अंक सुधार) व पूर्व ब्रिज कोर्स परीक्षा से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

7. <u>बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों के क्रम में</u> :-

1. साधारण अंकतालिका प्रतिलिपि (Duplicate Marksheet) :

   मूल अंकतालिका खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की परिस्थिति में छात्रों द्वारा रू. 80/- का निर्धारित शुल्क एवं पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने पर उन्हें अंकतालिका की प्रतिलिपि अगले दिन या डाक द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जाती है।

2. आवश्यक अंकतालिका प्रतिलिपि <u>(Urgent Duplicate Marksheet) :</u>

   अर्जेंट अंकतालिका हेतु रू. 100/- शुल्क सहित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। सामान्यत: यह अंकतालिका परीक्षार्थियों को उसी दिन उपलब्ध करायी जाती है।

3. आंग्ल भाषित प्रमाण-पत्र <u>(English Version Certificate) :</u>

   पासपोर्ट के प्रथम चार पृष्ठों की फोटो प्रति अथवा विदेश/अहिन्दी भाषित प्रदेश में जाने का शपथ पत्र रू. 10/- का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर देते हुए रू. 200/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर आंग्ल भाषित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

4. प्रवर्जन प्रमाण पत्र <u>(Migration Certificate) :</u>

   जो छात्र इस बोर्ड कार्यालय से बाहर अध्ययन के लिए जाते हैं, उन्हें प्रवर्जन प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं। छात्र रू. 100/- निर्धारित शुल्क व पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

5. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित प्रतिलिपि -

   प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में बोर्ड के निर्धारित प्रारूप के अनुसार रू. 10/- के नॉन जुडीशियल स्टॉम्प पेपर पर छात्र अपना पूर्ण विवरण

लिखकर एवं आवक्ष चित्र लगाकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश या नोटेरी पब्लिक द्वारा निष्पादित शपथ-पत्र प्रमाणित व सील लगाकर एवं निर्धारित शुल्क प्रमाण-पत्र के लिए रू. 200/- तथा प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित के लिए रू. 200/- एवं पूर्ण विवरण सहित आवेदन करने पर प्रतिलिपि प्रदान की जा सकती है। प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र व्यक्तिगत रूप से न देकर दिये गये पते पर भिजवायी जाती है। शपथ-पत्र एवं आवक्ष चित्र का प्रमाणीकरण एक ही न्यायाधीश/नोटेरी पब्लिक द्वारा होनी चाहिए। अपूर्ण प्रार्थना-पत्र मूल रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।

माध्यमिक ओपन स्कूल परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करते समय प्रथम अवसर से उत्तीर्ण होने तक के अवसर का विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।

वर्ष 2001 एवं इसके बाद की परीक्षाओं के लिए प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र बिना फोटो मुद्रित के जारी किये जाऐंगे।

****

शपथ पत्र का नमूना

(दस रूपये के स्टॉम्प पेपर पर अंकित करना है)

1. मै ..... पुत्र/पुत्री ..... जाति ..... निवासी (पता) ..... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मैनें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से सैकण्डरी स्कूल/माध्यमिक ओपन स्कूल परीक्षा/प्रवेशिका/हॉयर सैकण्डरी/सीनियर हॉयर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/उच्च माध्यमिक परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 19...../20..... में नामांक (Roll No.) मुख्य परीक्षा ओपन स्कूल प्रथम अवसर ..... पूरक परीक्षा नामांक ..... वर्ष 19...../20..... द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा नामांक ..... तृतीय अवसर पूरक परीक्षा/माध्यमिक ओपन स्कूल द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/छठा अवसर से नामांक ..... वर्ष 19...../20..... नियमित (Regular) परीक्षार्थी के रूप में ..... विद्यालय से स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी के रूप में ..... जिले से ..... श्रेणी में अण्डर लाईन की गई परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

2. मेरा उपरोक्त परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र जो कि बोर्ड कार्यालय से प्राप्त हुआ था, खो गया।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.3.12 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्र 2011–12 से प्रभावी "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12" के बिन्दु संख्या–(2) सामान्य नियम : 2 (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता के उप बिन्दु (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा–9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ, उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा–10 के परीक्षा परिणाम की संवीक्षा पश्चात् विलम्ब से जारी किए जाने वाले संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों के प्रकरण में उपर्युक्त प्रावधान में बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से पूर्व आयोजित की जा चुकी परख/अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए जाने की शर्त से एतद् द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रकरणों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना सन्दर्भित परिपत्र दिनांक : 25.3.12 के बिन्दु संख्या–2 (ख) के उप बिन्दु (5) में प्रदत्त निर्देशानुसार की जाएगी।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षो. नियम/2011–12/176 दिनांक : 16.03.2016

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेषाधिकारी(शिक्षा), शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय।
5. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित किए जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षौन्नति/2017/44 दिनांक: 31.03.2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक –प्रथम/द्वितीय

विषय :– सत्र : 2016–17 का कक्षा 6 से 10 का परीक्षा परिणाम "शाला दर्पण परीक्षा परिणाम मॉड्यूल" द्वारा तैयार करने बाबत।

प्रसंग :– अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर का पत्रांक : रामाशिअ/जय/शाला दर्पण/2017/328, दिनांक : 27.03.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि "शाला दर्पण पोर्टल" पर कक्षा 6 से 10 हेतु परीक्षा परिणाम मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया है, जिस पर सत्र : 2016–17 के कक्षा–6 से 10 तक के परीक्षा परिणाम सम्बन्धी डाटा फीडिंग का कार्य विद्यालय स्तर से किया जाना है। इस सम्बन्ध में फील्ड से वांछित विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं तथा समस्याओं के निराकरण/समाधान हेतु निदेशालय स्तर से समय–समय पर प्रसारित परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम तथा विषयवार मूल्यांकन के लिए जारी अंक विभाजन योजना सम्बन्धी निम्नांकित निर्देश परिपत्रों का सन्दर्भ लेवें :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो. नियम/11–12, दिनांक : 25.03.12 एवं समसंख्यक संशोधित परिपत्र दिनांक : 27.03.14 तथा 16.03.2016 (कक्षा–9 से 12 हेतु प्रभावी)
2. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विषयवार मूल्यांकन के लिए अंक विभाजन योजना सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षोन्नति/2011–12, दिनांक : 10.08.11 तथा 30.08.11 के क्रम में कक्षा–9, 10, 11 तथा 12 के लिए विषयवार मूल्यांकन हेतु प्रभावी अंक विभाजन योजना।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम तथा विषयवार अंक विभाजन योजना सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा /प्राशि /शैक्षिक /एबी/3511 /2011–12, दिनांक : 26.10.12 {उन विद्यालयों, जिनमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था (सी.सी.ई.) लागू नहीं है, की कक्षा–6 से 8 हेतु प्रभावी}

उपर्युक्त परिपत्रों की प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कक्षा–6 से 10 तक का परीक्षा परिणाम "शाला दर्पण परीक्षा परिणाम मॉड्यूल" द्वारा तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक (माध्यमिक)

रजिस्टर्ड पत्र

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्राशि / शैक्षिक / एबी / 3511 / 2011–12 दिनांक 26.10.12

प्रेषकः–

डा.रविकुमार सुरपुर
निदेशक IAS

प्रेषिती :–
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा(समस्त)

विषयः–परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम (सत्र 2012–2013 से लागू)बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(4)प्राशि / 2012 दिनांक 08.10.12 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम 2012–2013 से लागू होंगे। इस कक्षौन्नति नियमों के अनुरूप परीक्षा एवं कक्षौन्नति की प्रकिया संपादित करने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को भी निर्देशित करावें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार

निदेशक

प्रतिलिपि निमनांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा।
3. संपादक,शिविरा पत्रिका को सात अतिरिक्त प्रतियों के प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं।

निदेशक

26/10/2012

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 1 (4)/प्राशि/2012 जयपुर, दिनांक 8.10.12

परिपत्र

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा संहिता) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/परिवर्धनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2012-2013 से निम्न परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम लागू किये जाते है। इनकी पालना सुनिश्चित करावें :-

प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम
(सत्र 2012-2013 से लागू)

1. क्षेत्र

1. ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाऐंगे तथा राजस्थान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।
2. यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

2. सामान्य निर्देश

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता-

1. कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेगें जिन्होने किसी शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।
2. विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख, आंगनबाडी अभिलेख अथवा माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक आयु अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इन्कार नहीं किया जायेगा। आयु अनुरूप प्रवेशित बालको की दक्षताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा मान्य, बिन्दु-1 में उल्लेखित संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता -

1. कक्षा 1-8 तक सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संस्था प्रधान अनुपस्थिति के कारणों की सन्तुष्टि के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख/अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था पृथक से करेगा। यह परीक्षा उन्ही विषयों की आयोजित की जाए जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहा है।

(2)

2. कक्षा 1 से 8 तक में नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधि) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। यह न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होगी।

3. जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा 2.2 (2) के अनुसार आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नही करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जावेगा।

4. संस्था प्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति में अपने विवेकानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दें सकेंगें। विद्यार्थी द्वारा रूग्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

2.3 परीक्षा तैयारी अवकाश –

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। इन दिनों में विद्यालय खुला रहेगा। अध्यापक व अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कार्य पूरा करेगें। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

2. जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, वहाँ बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 1 से 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु दोपहर 12.00 से सायं 2.30 बजे तक शिविरा पंचांग के अनुसार समयावधि रहेगी।

2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था –

1. सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जायेगी। संस्था प्रधान सामयिक परखों, अर्द्ध–वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें।

2. संस्था प्रधान मूल्यांकन कार्य हेतु सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिये प्रत्येक विषय हेतु एक सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल) उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा किये गये मौलिक कार्य आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकार्ड रखा जायेगा। यह फोल्डर विद्यालय में संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा संधारित किया जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी किया जाएगा।

2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएं –

संबंधित सत्र में विभागीय पंचाग में दिये गये निर्देशानुसार कक्षा 1से 8 तक की सामयिक परख एवं परीक्षाएं आयोजित होंगी।

2.6 शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन (परीक्षा परिणाम) –

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को निश्चित दिनांक पर विद्यालय में बुलाकर दिखाये जाएगें। इस दिन अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अवगत करायेंगें।
2. शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् प्रगति पत्र अभिभावकों को दिये जाएगें।

2.7 पूर्णांक –

कक्षा 1 से 8 हेतु विभिन्न सामयिक परखों एवं परीक्षाओं के लिये विषयवार अंक विभाजन संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग के अनुसार होंगें।

2.8. उत्तीर्णता नियम –

1. विद्यार्थियों को उनकी सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड दी जायेगी।
2. ग्रेड निर्धारण नियम –

कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'क' के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ग' के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएगें। प्राप्ताकों के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जायेगी :–

क्र.सं.	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ग्रेड
1	0 से 30 प्रतिशत तक	ई / E
2	31 से 50 प्रतिशत तक	डी / D
3	51 से 70 प्रतिशत तक	सी / C
4	71 से 85 प्रतिशत तक	बी / B
5	86 से 100 प्रतिशत तक	ए / A

नोट:–1. प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जायेगा। तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

2. कक्षा 1 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण / प्रोन्नत घोषित किये जायेंगें।

2.9 अतिरिक्त शिक्षण –

1. प्रत्येक सामयिक परख / अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जॉच होगी तथा इस पुनः जॉच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जायेगी।

2. विशेष परीक्षा –

1. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन सभी विषयों में 1–15 मई की अवधि में अतिरिक्त शिक्षण दिया जाकर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।

2. इस विशेष परीक्षा के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता है तो उसे आगामी सत्र के प्रारम्भ से आगामी कक्षा के साथ–साथ उन विषयों के लिए जिनमें अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जायेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।

3. सतत मूल्यांकन फोल्डर का रखरखाव –

विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन फोल्डर को विद्यालय में संधारित किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन फोल्डर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने तक संधारित किया जायेगा। इस सतत मूल्यांकन फोल्डर में दर्शाये गये मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल की प्रविष्टि परीक्षाफल पंजिका में स्थायी रूप से अंकित की जायेगी। परीक्षाफल पंजिका 5 वर्ष तक एवं सतत मूल्यांकन फोल्डर एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जायें।

4. विद्यार्थी संचयी अभिलेख

विद्यार्थी संचयी अभिलेख विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों/पक्षों की प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में बालक के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक भावात्मक विकास, पसन्द, रूचि, मजबूत पक्ष एवं एक समय विशेष में होने वाली प्रगति का आकलन परिलक्षित होता है।

1. अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के अधिकांश कॉलम की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर दी जाये।

2. संचयी अभिलेख प्रपत्र में विद्यार्थी के अध्ययन काल के वर्षों से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित की जायें। जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाता है, उस समय कक्षाध्यापक द्वारा समस्त पूर्ति की जॉच की जाकर संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर सहित विद्यार्थी को यह अभिलेख उपलब्ध करवाया जाये।

3. कक्षा 1–8 में संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास आदि का विवरणात्मक कथन का निर्धारण कक्षाध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श करने के उपरान्त दर्ज किया जाना है। वर्ष पर्यन्त विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में घटनावृत अभिलेख "सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल)" में संधारित किया जायेगा। सत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर सांकेतिक टिप्पणी अंकित की जायेगी।

4. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी कारणवश विद्यालय छोड़ अन्यत्र कहीं अध्ययन हेतु पलायन करता है तो उसका संचयी अभिलेख प्रपत्र उसकी अध्ययनरत कक्षा के स्तर तक का भरा जाये तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाये।

5. अन्य नियम–

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये जाने पर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जायेगा।
2. परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दिए जायेंगें।
4. प्रगति पत्र की पूर्ति संचयी अभिलेख प्रपत्र के आधार पर की जायेगी।
5. प्रगति पत्र/प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क 5 रूपये प्राप्त कर दी जायेगी, जिस पर द्वितीय प्रति अंकित कर तथा स्थाई अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी एवं तृतीय प्रति 10 रूपये निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जाये।

संलग्न :– विषयवार अंक विभाजन (परिशिष्ट क, ख एवं ग)

1. परिशिष्ट क – कक्षा 1 व 2
2. परिशिष्ट ख – कक्षा 3 से 5
3. परिशिष्ट ग – कक्षा 6 से 8
4. परिशिष्ट घ – संचयी अभिलेख प्रपत्र

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/~~माध्यमिक~~ शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर।
6. समस्त शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5/6)/प्राशि(आयो॰) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

(6)

2.7 विषयवार अंक विभाजन कक्षा– 1, 2

विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 1										विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 2									
विषय	अर्द्ध–वार्षिक			वार्षिक			सर्व योग			विषय	अर्द्ध–वार्षिक			वार्षिक			सर्व योग		
	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग		मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग
हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200	हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200
गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200	गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200
अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100	अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100
पर्यावरण		50		50			100			पर्यावरण		50		50			100		
कार्यानुभव		25		25			50			कार्यानुभव		25		25			50		
कला शिक्षा		25		25			50			कला शिक्षा		25		25			50		
स्वा.शिक्षा		50		50			100			स्वा.शिक्षा		50		50			100		

नोट :– 1. पर्यावरण, कार्यानुभव, कला शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा का गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जायेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

परिशिष्ट (ख)

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 3 से 5)

क्र.सं.	विषय	सामयिक जांच			अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन			वार्षिक मूल्यांकन			सर्व योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	
1.	हिन्दी	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	5	10	25	35	20	30	50	100
3.	गणित	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
4.	पर्यावरण अध्ययन	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
		प्रथम मूल्यांकन		द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन		चतुर्थ मूल्यांकन		पंचम मूल्यांकन		योग
5.	कार्यानुभव	20		20	20		20		20		100
6.	कला शिक्षा	20		20	20		20		20		100
7.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	20		20	20		20		20		100

नोट :– 1. क्रम संख्या 5, 6 व 7 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सामयिक जांच तथा अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के साथ ही किये जायेंगे एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

परिशिष्ट (ग)

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 6 से 8)

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार / विषय एवं अंक योजना	प्रथम परख			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक			योग
		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	
1.	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
3.	तृतीय भाषा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
4.	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
5.	विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
6.	सा. विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन	चतुर्थ मूल्यांकन	पंचम मूल्यांकन	योग	ग्रेड
7.	कार्यानुभव	20	20	20	20	20	100	
8.	कला शिक्षा	20	20	20	20	20	100	
9.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	20	20	20	20	20	100	

नोट – 1. क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

परिशिष्ट घ

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान

विद्यार्थी संचयी अभिलेख

सत्र ..... से ..... तक

विद्यालय का नाम ..... डायस कोड .....

विद्यार्थी का नाम .....

लिंग : छात्र / छात्रा श्रेणी .....एससी / एसटी / ओबीसी / अपिव / सामान्य / अन्य)

माता का नाम ..... पिता का नाम .....

संरक्षक का नाम ..... विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध .....

कक्षा ..... प्रवेशांक ..... प्रवेश दिनांक .....

जन्म दिनांक (अंकों में) ..... जन्म दिनांक (शब्दों में) .....

विशेष आवश्यकता (सीडब्लूएसएन) विवरण (यदि कोई हो तो) एमआर एचआई वीआई ओएच

(सही का निशान अंकित करें)

स्थायी पता : .....

.....

अन्यत्र जाने का कारण .....

कक्षा उत्तीर्ण ..... प्रवेश योग्य कक्षा .....

अभिलेख प्रपत्र जारी करने की दिनांक .....

कक्षाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अभिभावक

प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील

संज्ञानात्मक क्षेत्र –

कक्षा 1–2 हेतु प्रारूप

कक्षा ..... सत्र .....

विषय	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य शिक्षा
ग्रेड							

समेकित टिप्पणी (सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता; स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में)–

कक्षा 3–8 हेतु प्रारूप

कक्षा ..... सत्र .....

विषय	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन / विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	संस्कृत	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा
ग्रेड									

समेकित टिप्पणी (आत्म विश्वास, देखभाल, सहयोग, पहल, समय की पाबन्दी, सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में) –

विद्यार्थी उपस्थिति विवरण –

सत्र	कक्षा	कुल मीटिंग	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	नियमितता पर टिप्पणी

99

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषयः— परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम— 2011—12

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से संबंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों के संबंध में अब तक जारी विभाग स्तर के नियमों/उप नियमों एवं समय—समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011—12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये जा रहे हैं। ये नियम कक्षा 9 से 12 तक के लिए मान्य होंगे।

उक्त नियम शैक्षिक सत्र 2011—12 से लागू माने जायेंगे।

संलग्नः— परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

निदेशक 23/3/12
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0नियम/11—12 दिनांकः23/3/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशेषाधिकारी, शिक्षा(ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर
2. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
5. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ::
(शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू)

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा विभाग) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय समय पर जारी संशोधनो/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से निम्न नियम प्रसारित किये जाते है :–

(1) ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलायेगें तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।

(2) सामान्य नियम :–

2.(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता :–

1. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकेंगे जिन्होने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हों।
2. कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नही हुआ हों उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया हो।
3. बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होंगे।

2.(ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता :–

1. कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी।
2. कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी।
3. यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय से प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ली जाय।
4. स्थानान्तरित अथवा प्रवृजित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करादिया जाय और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हे प्रवेश ही न दे।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
7. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मिटिंग में से निम्नानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है :–

कक्षा 9 एवं 11	75 प्रतिशत उपस्थिति

8. यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है :–

1.कक्षा 9 एवं 11	30 मिटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ)

2. रूग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियो के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

2.(ग) परीक्षा तैयारी अवकाश :–

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा 9 तथा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा करेंगे। यह अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
2. कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा जिसमें प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सकें।

2.(घ) प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

1. सामयिक परखों में प्रश्न पत्र लिखा कर अथवा श्यामपट् पर अंकित करवाये जायेंगे तथा प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जावे।
2. किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्न पत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्त लिखित अथवा टंकित करवाये जावे। 10 से अधिक

विधार्थी होने पर प्रश्न पत्र कमप्यूटर से टंकित करवाकर छाया प्रति दी जा सकेंगी।

3. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा/अर्द्धवार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा एवं कक्षा 10 एवं 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत मुद्रित प्रश्न पत्रों को ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिए जावे। गत वर्षों के बचे हुए प्रश्न पत्रों का उपयोग कतई नही किया जावे।
4. समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र लेने अनिवार्य हैं।

2.(इ) सामयिक परखें एवं परीक्षाएं :–

1. संबंधित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होंगी।
2. सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएं होगी।
   अ– अर्द्ध वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12)
   ब– वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 एवं 11)
   नोट :– कक्षा 9 से 12 की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जावें।

2.(च) परीक्षा परिणामों की घोषणा :–

संस्था प्रधानं द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमन्त्रित कर अवलोकन करवाया जाए। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावको को भेजे भावे।

2.(छ) पूर्णांक :–

1. कक्षा 9 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के परिणाम के पूर्णांक विभाग द्वारा जारी मूल्याकन योजना के अनुसार होंगे।
2. बोर्ड कक्षाओं हेतु पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों एवं नियमानुसार निर्धारित होंगे।

(3) उत्तीर्णता नियम :–

1. विद्यार्थियों को उनकी तीन सामयिक परखों अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताओं के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
2. जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नही है।
3. तीनो परखों का योग अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हों तो उन्हे अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जावे।

4. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चूकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।

6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा।

(4) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :–

1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नही रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्ही विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

(5) कृपांक :–

1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचारण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं।
2. कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते है और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है।
3. रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(6) श्रेणी निर्धारण नियम :–

1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।
2. 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।
3. 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी।
4. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।
5. अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

"विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।"

6. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी। अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नही जोड़ें जावेंगे।
7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी करदी जावे।

(7) पूरक परीक्षा नियम :–

(अ) पात्रता :–

1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्ही दो विषयों में दी जा सकेगी।
2. संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) **परीक्षा आयोजन** :– शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे।

(स) **पूर्णांक** :– प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा।

(द) **परीक्षा उत्तीर्णता** :– वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग–अलग प्राप्त किये हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) **परीक्षा परिणाम** :– शिविरा पंचांग मे निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे।

(र) **परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)** :– कक्षा 9 व 11 के लिए 20 रूपये।

(8) पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु) :–

1. **पात्रता** : वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रूग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।
2. **परीक्षा आयोजन** : पुनः परीक्षा उन्ही तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी।
3. **पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)** : कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रूपये।
4. **परीक्षा परिणाम** : सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है। उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नही होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

(9) उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा :–

1. प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जावे।
2. सभी परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जावे।

3. परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

(10) अन्य नियम :–

1. कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में रूग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
2. परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियन्त्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे।
3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दे दिये जावे।
4. परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क रूपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5. पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जांच सम्मिलित होगी :–
   (अ) सभी प्रश्न जॉचे गये है या नही।
   (ब) अंको का योग सही है या नही।
   (स) ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए।
6. प्रगति प्रत्र की दूसरी प्रति 20 रूपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थाई अभिलेख में भी इन्द्राज किया जावे।
7. कोई भी छात्र अन्य छात्र की जाँची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रूपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तरपुस्तिका को नुकसान पहुचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिलिपि अपने नियन्त्रण अधिकारी को देगा।

(11) स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम :–

1. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है।
2. यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

(12) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम :–

(अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जायेंगे :–

1. परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना
2. परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुह में/डैस्क में/उत्तरपुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस–पास रखना।

3. उत्तरपुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तरपुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना।

(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का सन्देह हो तो) :–

1. संबंधित विक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेंगे।
2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका, सन्देहास्पद सामग्री सहित उससे लेली जायेगी और उसका स्पष्टिकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिये नई उत्तरपुस्तिका देदी जायेगी।
3. यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो विक्षक आस–पास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवालेवे।
4. उस सामग्री पर परीक्षार्थी, विक्षक एवं पर्यवेक्षक (सूपरवाईजर) तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी :–
   - विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिकाएं।
   - वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये।
   - विद्यार्थी शिक्षक परीवीक्षक के बयान।
   - संस्था प्रधान की टिप्पणी।
   - संबंधित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति।
   - अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।

(13) अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इस प्रकार के समस्त अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा :–

1. सीनियर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए :–
   1. संबंधित संस्था प्रधान
   2. परीक्षा प्रभारी (संबंधित संस्था)
   3. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक
2. उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक रखा जायेगा।
3. समिति की सिफारीश पर अन्तिम निर्णय लेकर संबंधित संस्था प्रधान आदेश जारी करेंगे।
4. विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय नही होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा।

(14) दण्ड :–

प्रकरण की गंभीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी :–

1. जिन विषय में यह पाया जाय की नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नही किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंकों मे से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जायेगे।
2. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तरपुस्तिका का निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के आधार पर जांच की जायेगी।
3. दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
4. परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
5. जहां विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहां पर जिस प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों से संबंधित हो, वह परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
6. जहां कही ऐसे दोष में किसी/किन्ही शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक नियमो के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही संक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे।

(15) अन्य नियम :–

1. किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नही होगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक प्ररामर्शदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राधीक्षक अथवा उक्त समिति के समक्ष करा सकें।
2. यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे संबंधित कोई मामला उपर्युक्त किसी प्रावधान के अन्तर्गत न आये तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

(16) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित सम्बद्ध आदेशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन मान्य होंगे।

(17) परीक्षा संबंधित इन नियमों के अन्तर्गत नही आये विषयों पर विभागाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होंगा।

निदेशक 28/3/12
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::परिपत्र::

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांकः परीक्षा–1/सैल–8/ 2013/ 121085 दिनांकः 13.7.13 द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोडकर परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने बाबत प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से सम्बंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों में (परिपत्र कमांकः शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0 नियम/11–12, दिनांक 25.3.12 द्वारा शैक्षिक सत्र 2011–12 से संशोधन/परिवर्तन पश्चात लागू) आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या– 6 के उप बिन्दु (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

"पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित अंको के साथ, पूरक परीक्षा विषय में पूरक परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक अंकित कर उक्तानुसार श्रेणी का निर्धारण करते हुए नयी अंक तालिका जारी कर दी जाये।"

(विकास एस. भाले)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांकः शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षोन्नति नियम/11–12/167 दिनांकः 27·03·14

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रथम/द्वितीय), माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.3.12 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्र 2011–12 से प्रभावी "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12" के बिन्दु संख्या–(2) सामान्य नियम : 2 (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता के उप बिन्दु (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा–9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ, उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा–10 के परीक्षा परिणाम की संवीक्षा पश्चात् विलम्ब से जारी किए जाने वाले संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों के प्रकरण में उपर्युक्त प्रावधान में बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से पूर्व आयोजित की जा चुकी परख/अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए जाने की शर्त से एतद् द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रकरणों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना सन्दर्भित परिपत्र दिनांक : 25.3.12 के बिन्दु संख्या–2 (ख) के उप बिन्दु (5) में प्रदत्त निर्देशानुसार की जाएगी।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षो. नियम/2011–12/176 दिनांक : 16.03.2016

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेषाधिकारी(शिक्षा), शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय।
5. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित किए जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 9 के लिये सत्र 2010–11 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा		वार्षिक परीक्षा		पूर्णांक	न्यूनत उत्तीर्ण
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न–पत्र	योग	प्रश्न–पत्र	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**भाषायें :**										
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
3	समाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
6	शारीरिक एवं स्वास्थ शिक्षा	10 8 प्रायो.	10 7 प्रायो.	15 10 प्रायो.	60	25 15 प्रायो.	40	30 70 प्रायो.	100	200	–
7	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	70 30 प्रायो	100	200	–
8	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25				वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100	सतत आन्तरि मूल्यांक
	(2) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 25				प्रायोगिक 30 + 30		प्रस्तुति कार्य 15		100	

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न प पढनें के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सक है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।

220

4. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय तथा फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण नही जोड़े जाऐगे। इन विषयों के प्राप्तांकों को अंक तालिका में दर्शाया जायेगा (इन विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।) फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेकनोलोजी हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वार जारी नवीनतम दिशा निर्देशों का अवलोकन करें एवं तद्नुसार कार्यवाही करें।
5. राजस्थान अध्ययन विषय में उतीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगें।
6. केवल मान्यता प्राप्त/राजकीय मूकबधिर विद्यालयों अध्ययनरत छात्रों के लिए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम को तीन सत्रों में 35+35+30 में विभाजित किया गया है। मूकबधिर छात्रों को अंग्रेजी व तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित स्वयंपाठी के लिए लागू रहेगी।
7. कला शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया गया है :—
   1. चित्रकला 2. संगीत। विद्यार्थी दोनो में से एक चयन कर सकता है। दोनो के पूर्णांक 100 होगें।
8. ऐसे विद्यालय जहां कम्प्यूटर लैब की सुविधा नही है, वहां संस्था प्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेकनोलोजी लिए निर्धारित कांलाशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते है।
9. न्यूनतम उर्तीणांक 36 प्रतिशत होगें।

321

परिशिष्ट – I

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्धवार्षिक परीक्षा		कुल यो
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्नपत्र	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भाषायें :							
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100
6	शा0शि0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
7	फाउन्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
8	(i) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (ii) कला शिक्षा	अनिवार्य प्रवृति 25 सैद्धान्तिक 25		वैकल्पिक प्रवृति 45 प्रायोगिक 30+30		शिविर 30 प्रस्तुति कार्य 15		100 100
9	नोट :– एस0यू0पी0डब्लू0 एवं कला शिक्षा में सतत् आन्तरिक मूल्यांकन							

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा मे प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा इस विषय के प्राप्तांकों को बोर्ड नियमानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।

(2)

5. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा/कला शिक्षा विषयों की लिखित परख/परीक्षाके स्थान पर वर्ष पर्यन्त सतत् मूल्यांकन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की विवरणिका मे निर्धारित प्रवृति/कार्य/शिविर आदि के अनुसार होगा तथा कुल 100 अंको मे से प्राप्त अंक के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जायेगी।
6. फाउन्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेकनोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 में से विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित किए जायेंगे। इन अंको का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रत्तत अंक तालिका में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नही जोड़े जायेगे।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को विषयवार सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक भेजने की कार्यवाही बोर्ड के निर्देशानुसार ही की जावें।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 11 के लिये सत्र 2010-11 से लागू)

परिशिष्ट – 2

क्र.सं.	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			वार्षिक परीक्षा			पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो.	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनिवार्य :												
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
	(3) राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
	(4) जीवन कौशल शिक्षा	बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सतत् मूल्यांकन 30 + 30 + 40										100	--
2	वैकल्पिक विषय :												
	कला वर्ग :-												
	(1) भूगोल / मनोविज्ञान / गृहविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	20	50	70	30	70	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
3	विज्ञान वर्ग –												
	(1) भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भूविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
4	कृषि विज्ञान वर्ग :-												
	(1) कृषि विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) जीव विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(3) रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	--	100	200	72
	(5) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

232

5	वाणिज्य वर्ग :–												
	(1) व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(2) टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी)	5+5	5+5	5+5	15+15	–	35+35	70	–	50+50	100	200	72
	(3) शीघ्र लिपि एवं टंकण विधि (हिन्दी व अंग्रेजी)	10	10	10	30	35	35	70	50	50	100	200	72
	(4) लेखा शास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(5) अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(6) गणित	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(7) कम्प्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रोमेटिक्स प्रोक्टेरा/मल्टीमिडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ़लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. राजस्थान अध्ययन विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेगे।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दिशानिर्देशानुसार करने होगें।
6. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 12 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			कुल
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायोगिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ – अनिवार्य विषय									
1	हिन्दी	10	10	10	30	70		70	10
2	अंग्रेजी	10	10	10	30	70		70	10
3	राजस्थान अध्ययन (स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन)	10	10	10	30	70		70	10
ब – वैकल्पिक विषय									
	(कला वर्ग)								
1	मनो. विज्ञा. / भूगोल / गृह विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	10
2	संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	30	40	70	10
3	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	10
4	अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70		70	10
	(विज्ञान वर्ग)								
1	भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भू0विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	1
2	गणित	10	10	10	30	70		70	1
3	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	1

(कृषी विज्ञान के लिए विषय)									
1	कृषि विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
2	जीव विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
3	रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
4.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
5.	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100
(वाणिज्य वर्ग)									
1	व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70		70	100
2	हिन्दी व अंग्रेजी टंकण	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
3.	हिन्दी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
4	अंग्रेजी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
5	लेखाशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
6.	अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
7.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
8	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढने के लिए दिय गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने मे भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज़स्थान, अजमेर के नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं समयावअधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के दिशा–निर्देशानुसार करने होगे।

सत्रांक प्रपत्र

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा/आठवीं बोर्ड परीक्षा 2018 के नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन भरने बाबत निर्देश

सत्रांक योजना के अन्तर्गत बोर्ड की उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा/आठवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं । नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का निर्धारण पृष्ठ संख्या 03 से 06 के अनुसार किया जाये। आपके विद्यालय के जिन नियमित परीक्षार्थियों ने उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा/आठवीं बोर्ड परीक्षा– 2018 हेतु परीक्षा आवेदन–पत्र भरा है उनके सत्रांक आपके द्वारा ऑनलाईन भरे जाने हैं, **बोर्ड द्वारा पृथक से OMR (ओ.एम.आर.) शीट्स नहीं भिजवाई जायेगी।** सभी विद्यालयों को सत्रांक ऑनलाईन प्रेषित करने हैं। विद्यालय अपना विद्यालय कोड व ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दिया गया पासवर्ड डालकर परीक्षार्थियों के नामांक के सम्मुख उनके विषयवार सत्रांक भरेंगे। पासवर्ड भूल जाने पर बोर्ड की आई.टी.शाखा में विद्यालय कोड व शाला प्रधान का मोबाईल नम्बर नोट करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

अंकसूचियाँ / ऑनलाईन सत्रांक भेजने से पूर्व की प्रक्रिया :-

1. प्रत्येक विषय व प्रश्न पत्र की तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ सम्बन्धित परीक्षार्थी को दिखाई जाकर उनकी आपत्ति का निराकरण कर लिया जाये ।
2. विद्यालयी परीक्षा की अंकसूचियों में प्रदत्त नामांक व बोर्ड द्वारा छात्र को प्रदत्त नामांक, नाम अनुसार अंक मूल अंक सूची में शुद्धता से अंकित किये जाये । गत वर्षों में देखने में आया है कि एक ही नाम के दो छात्र होने पर उनके अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक एक दूसरे के परस्पर बदल कर लिख दिए गये। अत: कृपया इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसी त्रुटि होने से छात्रों का नुकसान होता है तथा परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होता है ।
3. अंक योजना पृष्ठ 03 से 06 के अनुसार विभाजित सत्रांकों को जोड़कर छात्र द्वारा कुल अर्जित सत्रांक ऑनलाईन भिजवाने हैं अर्थात् सत्रांकों का उपविभाजन प्रदर्शित नहीं करना है। बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये यदि पूर्णांक क्रमश: 100, 70, 50, 30 निर्धारित हैं तो इसमें से 20, 14, 10, 6 अंक सत्रांक तथा शेष 80, 56, 40, 24 अंक बोर्ड परीक्षा के लिये हैं । उदाहरण के लिये पूर्णांक 100 वाले विषय में कुल 20 सत्रांक हेतु निर्धारित होंगे जिन्हें विभाजित करने पर 10 अंक तीन सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में, 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए तथा 5 अंक विद्यार्थी की उपस्थिति एवं सद्व्यवहार के आधार पर देय होंगे। यदि किसी छात्र को अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा तीनों परख में मिलाकर 10 में से 8 अंक, प्रोजेक्ट के लिए 5 में से 4 अंक तथा उपस्थिति एवं सद् व्यवहार के लिए 5 में से 3 अंक मिलते हैं तो इस छात्र के 8+4+3=15 अंक (सत्रांक) प्रेषित किये जायेंगे। यदि विभाजित सत्रांकों का जोड़ भिन्न में प्राप्त हो तो उन्हें अगले अंक तक राउण्ड करके लिखें यथा $14^1/_4$, $14^1/_2$ या $14^3/_4$ के स्थान पर 15 अंक प्रेषित करावें।
4. प्रक्रिया सं. 3 की जाँच दो शिक्षकों द्वारा कराई जाने के बाद ऑनलाईन सत्रांक भरें।
5. **ऑनलाईन सत्रांक भरने के पश्चात् इसका अप्रुव्ड प्रिन्ट निकालकर प्रधानाचार्य अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसे बोर्ड को नहीं भिजवाना है।**
6. अंकों की प्रविष्टी करने से पूर्व सम्बन्धित विवरणिका में अंकित योजना व पूर्णांकों एवं न्यूनतम उत्तीर्णांकों की सूची को कृपया पुन: ध्यान से देखें तथा आश्वस्त हो लें कि अंक उस विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये निर्धारित पूर्णांकों में से ही दिये गये है ।
7. जिस शिक्षण संस्था से परीक्षार्थी का आवेदन पत्र परीक्षा में बैठने हेतु अग्रेषित किया गया है, उसके प्रधान ही उसके सभी अंक भेजने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है । अत: यदि आपके यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी जो कि राजस्थान के किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने के बाद आपके यहाँ अर्द्धवार्षिक परीक्षा में

प्रविष्ट हुआ हो और परीक्षार्थी अपनी पूर्व शाला के आधार पर बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत है तो कृपया आप उसकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद आयोजित सामयिक परख के अंक, यदि छात्र ने प्रोजेक्ट कार्य आपके विद्यालय में प्रस्तुत किया हो तो प्रोजेक्ट कार्य के अंक तथा आपके विद्यालय में रही छात्र की उपस्थिति एवं व्यवहार पर आधारित अंक सादे कागज पर दो प्रतियों में बनाकर रजिस्टर्ड डाक से पूर्व विद्यालय को जहाँ से छात्र स्थानान्तरित होकर आया है, भेज दें । जिससे समय से पहले ही उस संस्था के प्रधान को अंक प्राप्त हो जाये। इस प्रकार अंक प्राप्त करने वाले छात्र की पूर्व शाला के प्रधान द्वारा उनके विद्यालय में दी गई सामयिक परख तथा उपस्थिति एवं व्यवहार आधारित अंकों तथा छात्र के वर्तमान विद्यालय से प्राप्त अंकों को मिलाकर आनुपातिक रूप से नियमानुसार सत्रांक तैयार कर ऑनलाईन भरें जायेंगे। इसी प्रकार आपकी शाला से परीक्षार्थी आवेदन-पत्र अग्रेषित हो जाने के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य विद्यालय में चला गया हो किन्तु उसका आवेदन–पत्र आपके विद्यालय द्वारा अग्रेषित है तो उसके प्राप्तांक वहाँ से मंगवाकर इसी रीति से ऑनलाईन भरें।

8. किसी भी अवस्था में ऑनलाईन अंकसूची में किसी नामांक के लिये कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाए। यदि छात्र ने किसी विषय विशेष/तृतीय भाषा में स्वअध्ययन किया है तो उस विषय के कॉलम में ऑनलाईन भरते समय NOT APPLICABLE लिखा जावे। शाला से नाम पृथक (NSO) एवं उपस्थिति न्यूनता के कारण बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोके गये (DETAIN) परीक्षार्थियों के ऑनलाईन सत्रांक प्रेषण के समय सभी विषयों एवं समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में अनुपस्थित (ABSENT) दर्ज करना है। NOT APPLICABLE केवल विषय परिवर्तन/स्वअध्ययन की स्थिति में ही दर्ज करना है। ऐसे विषय के सत्रांक/स्वअध्ययन की सूचना पृथक से पत्र द्वारा प्रमाणित कर बोर्ड को अनिवार्य रूप से सूचित करना है। इसके अभाव में परीक्षार्थी का परिणाम उस विषय में सत्रांक में अनुपस्थित अंकित कर घोषित कर दिया जायेगा।

9. (i) श्रेणी सुधार (कैटेगरी–2) में प्रविष्ठ परीक्षार्थियों के समाजोपयोगी योजनाऐं विषय कोड 79, समाज सेवा योजना विषय कोड 78, FOIT विषय कोड 80, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय कोड 82, SUPW & CS विषय कोड 81, कला शिक्षा विषय कोड 83 के अंक एवं ग्रेड प्रविष्ठ नहीं करने है।

(ii) नियमित छात्र के रूप में गत वर्षों में प्रविष्ठ होकर अनुत्तीर्ण रहे अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ठ हो रहे छात्र यदि पुनः नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो रहे हों तो कृपया उनके सत्रांक भी उपरोक्त योजनानुसार ही भेजें ।

10. वर्ष 2018 की परीक्षाओं से सत्रांक बाबत् निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :–

क्र. सं.	श्रेणी	प्रक्रिया	विलम्ब शुल्क/शास्ति प्रति परीक्षार्थी संशोधन सहित	अधिकतम शास्ति राशि प्रति विद्यालय
1	2	3	4	5
1.	प्रथम बार–30 दिवस की अवधि में	पोर्टल से	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
2.	अंतिम तिथि के बाद अगले 7 दिवस में विलम्ब शुल्क सहित चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों। (ग्रेडिंग सहित)	पोर्टल से	रू. 50/– प्रति परीक्षार्थी	रू. 5000/– प्रति विद्यालय
3.	क्रमांक 02 की तिथि विगत होने के बाद अगले 7 दिवस में दुगुने विलम्ब शुल्क सहित चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरें हों। (ग्रेडिंग सहित)	पोर्टल से	रू. 100/– प्रति परीक्षार्थी	रू. 10,000/– प्रति विद्यालय
4.	क्रमांक 3 की तिथि विगत होने के बाद एडिट प्राप्त होने से परिणाम घोषणा हेतु डाटा लॉक करने तक। चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों (ग्रेडिंग सहित) ।	कार्यालय में व्यक्तिशः शास्ति शुल्क जमा कराकर	रू. 150/– प्रति परीक्षार्थी	रू. 15,000/– प्रति विद्यालय
5.	परिणाम की तैयारी हेतु डेटा लॉक करने के बाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा परिणाम घोषणा के बाद नियमान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी परन्तु ऐसे प्रकरणों (समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन को छोड़कर) शेष में अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।			

नोटः–

1. प्रथम बार डेटा लॉक करने से पूर्ण विद्यालय एक बार संशोधन विद्यालय स्तर पर ऑनलाईन कर सकेगा उसके पश्चात् संशोधन बिन्दु 2,3 व 4 के अनुसार उल्लेखित अवधि में ही संशोधन कर सकेगा।
2. एक बार सत्रांक दर्ज करने के बाद किसी एक विषय/सम्पूर्ण विषय/ग्रेडिंग में संशोधन किये जाने पर प्रति परीक्षार्थी कॉलम संख्या 4 में अंकित शुल्क ही लिया जावेगा।
3. परीक्षार्थी के एक से अधिक विषय के सत्रांक/ग्रेडिंग बकाया है तो कॉलम 04 में अंकित प्रति परीक्षार्थी शुल्क ही लिया जावेगा।
4. प्रस्तावित तिथियों/अवधि/प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकेगा।

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपध्याय परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

(1) बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50 या 30 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक क्रमशः 20, 14, 10 या 6 निर्धारित होंगे।

(2) (अ) ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन होता है और प्रायोगिक कार्य नहीं किया जाता उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 प्रतिशत होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, 5% प्रोजेक्ट कार्य, 5 % उपस्थिति एवं व्यवहार के होंगे।

(i) 3% अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
75% से 80 % तक उपस्थित होने पर 1 अंक
81% से 85 % तक उपस्थित होने पर 2 अंक
86% से 100% तक उपस्थित होने पर 3 अंक

(ii) 2 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।

(ब) संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20 प्रतिशत होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, शेष अंक प्रोजेक्ट कार्य, उपस्थिति एवं व्यवहार के निम्नानुसार विभाजित होंगे।

(i) 3%अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर नियमानुसार दिये जा सकेंगे :-
75%से 80% तक उपस्थित होने पर 1 अंक
81% से 85% तक उपस्थित होने पर 2 अंक
86% से 100% तक उपस्थित होने पर 3 अंक

(ii) 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।

(iii) 1 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।

(स) संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा :-

लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे जिनके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार के निम्नानुसार देय होंगे।

1.5 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति होने पर निम्नानुसार दिए जा सकेंगे।
75% से 80% तक उपस्थित होने पर 0.5 अंक
81% से 85% तक उपस्थित होने पर 1.0 अंक
86% से 100% तक उपस्थित होने पर 1.5 अंक

1.5 अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे। उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक देय नहीं होंगे।

(3) उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में नियमित रूप से प्रविष्ठ होने वाले परीक्षार्थियों के लिये समाज सेवा योजना एवं समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन अनिवार्य विषय हैं। इन दोनों विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। समाज सेवा योजना विषय के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा प्राप्तांकों को निम्न सारणी अनुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ग्रेड भरनी है। समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन को छोड़कर विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कर परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंकों को ऑनलाईन भरा जायेगा। उल्लेख है कि समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में सैद्धान्तिक परीक्षा तथा प्रोजेक्ट कार्य ही कराये जाने के निर्देश है अत: दोनों के योग के आधार पर अर्जित अंक यथावत ऑनलाईन भरें।

समाज सेवा योजना - विषय कोड - 78

प्राप्तांक	ग्रेड
80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	ए (A) ग्रेड
60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक	बी (B) ग्रेड
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	सी (C) ग्रेड
50 प्रतिशत से नीचे	डी (D) ग्रेड

समाज सेवा योजना की ग्रेडिंग एवं समाजोपयोगी योजनाऐं के अर्जित अंकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें अन्यथा छात्र का परिणाम रोक दिया जायेगा। समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में न्यूनतम अंक 33 प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के समय समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।

(4) वाणिज्य वर्ग के विषय कोड 32 - हिन्दी शीघ्र लिपि 33 - अंग्रेजी शीघ्र लिपि तथा 34 व 35 टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी में सत्रांक विषयवार निर्धारित नहीं है अपितु इन्हें प्रश्नपत्रवार अलग-अलग भेजना है जिसके लिए सत्रांक कोड निम्नानुसार हैं :-

(1) हिन्दी शीघ्रलिपि - पेपर कोड 32/3
(2) हिन्दी टंकणलिपि - पेपर कोड 34/3
(3) अंग्रेजी शीघ्रलिपि - पेपर कोड 33/3
(4) अंग्रेजी टंकणलिपि - पेपर कोड 35/3
(5) टंकण लिपि हिन्दी - पेपर कोड 34/3
(6) टंकण लिपि अंग्रेजी - पेपर कोड 35/3

} प्रत्येक पेपर के सत्रांक के पूर्णांक 10 होंगे।

माध्यमिक / प्रवेशिका परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

(1) बोर्ड परीक्षा में सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा के 100 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20 निर्धारित होंगे।

(2) शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा फाउण्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नालोजी एवं समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन विषयों में विद्यालय स्तर पर परीक्षा योजना अनुसार मूल्यांकन करें। इन विषयों में परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंक यथावत ऑनलाईन भरें जो अधिकतम 100 हो सकते हैं। समाजोपयोगी योजनाऐं में न्यूनतम अंक 33 प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक परीक्षा के समय समाजोपयोगी योजनाऐं विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।

(3) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों में सतत् मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग का निर्धारण बिन्दु संख्या -6 के अनुसार करें। समाजोपयोगी योजनाऐं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कर परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंकों को यथावत ऑनलाईन बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा।

(4) नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

(i) 10 प्रतिशत सत्रांक - तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के अनुपात में देय होंगे।

(ii) 5 प्रतिशत सत्रांक - प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर देय होंगे।

(iii) 5 प्रतिशत सत्रांक - विद्यार्थी की उपस्थिति एवं सद्व्यवहार के आधार पर देय होंगे।

उक्तानुसार अंकों का उपविभाजन क्रमशः स्थानीय लिखित परीक्षा के 10 अंकों, प्रोजेक्ट कार्य 5 अंक उपस्थिति 3 अंक तथा सद् व्यवहार 2 अंक देय है।

(5.A) <u>तालिका (माध्यमिक)</u> :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1.	01	हिन्दी	100	20
2.	02	अंग्रेजी	100	20
3.	07	विज्ञान	100	20
4.	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
5.	09	गणित	100	20
6.	71	संस्कृत	100	20
7.	72	उर्दू	100	20
8.	73	गुजराती	100	20
9.	74	सिन्धी	100	20
10.	75	पंजाबी	100	20
11.	79	समाजोपयोगी योजनाऐं	100	100
12.	80	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा – II	100	100
13.	82	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	100	100
14.	81	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)	प्रक्रिया बिन्दु 6 के अनुसार ग्रेडिंग देनी है।	
15.	83	कला शिक्षा		

100 अंकों का 20 प्रतिशत नहीं निकाले अर्थात् अर्जित प्राप्तांक ही दर्शाने है।

(5.B) तालिका (प्रवेशिका) :–

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक	
1.	01	हिन्दी	50	10	
2.	02	अंग्रेजी	50	10	
3.	95 I	संस्कृतम् – प्रथम पत्र	100	20	
	95 II	– द्वितीय पत्र	100	20	
4.	07	विज्ञान	100	20	
5.	08	सामजिक विज्ञान	100	20	
6.	09	गणित	100	20	
7.	79	समाजोपयोगी योजनाऐं	100	–	100 अंकों का 20 प्रतिशत नहीं निकाले अर्थात् अर्जित प्राप्तांक ही दर्शाने है।
8.	80	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा – II	100	–	
9.	82	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	100	–	
10.	81	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)	100		प्रक्रिया बिन्दु 6 के अनुसार ग्रेडिंग देनी है।
11.	83	कला शिक्षा	100		

(6) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ऑनलाईन ग्रेड अंकित की जायेगी।

अंकों का प्रतिशत	ग्रेड
81 से 100 प्रतिशत तक	ए(A) ग्रेड
61 से 80 प्रतिशत तक	बी(B) ग्रेड
41 से 60 प्रतिशत तक	सी(C) ग्रेड
21 से 40 प्रतिशत तक	डी(D) ग्रेड
20 प्रतिशत से नीचे	ई (E) ग्रेड

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय लेवल–2 (कक्षा–10) में जिन परीक्षार्थियों ने अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय का चयन किया है तो उनकी सैद्धान्तिक परीक्षा के अलावा 20 अंक सत्रांक की व्यवस्था है जिनके विषय निम्नानुसार हैं :–

लेवल–2 (कक्षा–10) व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना :–

केवल चयनित विद्यालयों में लागू

क्र. सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	ऑटो मोबाईल	100	20
2.	102	सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य	100	20
3.	103	स्वास्थ्य देखभाल	100	20
4.	104	सूचना प्रौद्योगिकी	100	20
5.	105	निजी सुरक्षा	100	20
6.	106	रिटेल	100	20
7.	107	ट्रेवल एवं टूरिज्म	100	20
8.	108	परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा	100	20
9.	109	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स	100	20
10.	110	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (कृषि)	100	20

लेवल–4 (कक्षा–12) व्यावसायिक शिक्षा :–

क्र. सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	ऑटो मोबाईल	100	20
2.	102	सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य	100	20
3.	103	स्वास्थ्य देखभाल	100	20
4.	104	सूचना प्रौद्योगिकी	100	20

नोटः–

1. सैद्धान्तिक परीक्षा–30 अंक (सत्रांक रहित), सैद्धान्तिक परीक्षा–50 अंक (सत्रांक सहित) तथा प्रायोगिक परीक्षा–50 अंक में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. सत्रांक के 20 अंक का विभाजन–10 अंक स्थानीय, 05 अंक प्रोजेक्ट, 03 अंक उपस्थिति और 02 अंक सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन के देय होगे।
3. कक्षा–9 व 11 की वार्षिक (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) परीक्षाऐं विद्यालय स्तर से ही आयोजित की जायेंगी तथा परीक्षा परिणाम भी विद्यालय स्तर से जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रेषित परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक की दो सूची तैयार करेंगे। एक सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा दूसरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।
4. कक्षा 10 व 12 में संचालित विषयों में प्रविष्ठ परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम अपलोड करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी सम्बन्धित विद्यालयों के लिंक खोले जायेंगे जिससे विद्यालय अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विषय के सत्रांक, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक आदि अपलोड करेंगे जिसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्पर्क कर प्रत्येक लेवल उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों हेतु प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे।

आठवीं बोर्ड परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

आठवीं बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों को ऑनलाईन भरने होंगे। इसके लिए अंक योजना एवं विषय निम्नानुसार है। अंक भरने से पूर्व ओ.एम.आर. में पूर्णांक अवश्य देख लेवें तथा उसी अनुसार अंक भरें। **इसकी प्रमाणित अप्रुव्ड प्रति संबंधित जिले की डाईट को प्रेषित करनी है। बोर्ड को नहीं भिजवावें।**

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1.	01	हिन्दी	100	20
2.	02	अंग्रेजी	100	20
3.	07	विज्ञान	100	20
4.	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
5.	09	गणित	100	20
6.	71	संस्कृत	100	20
7.	72	उर्दू	100	20
8.	73	गुजराती	100	20
9.	74	सिन्धी	100	20
10.	75	पंजाबी	100	20
11.	81	कार्यानुभव	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
12.	82	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
13.	83	कला शिक्षा	100	100 में से प्राप्तांक भिजवाने हैं।
14.	95	संस्कृत शिक्षा	100	20

1. विद्यार्थी को 20 प्रतिशत आंतरिक एंव 80 प्रतिशत बाह्य परीक्षा के आधार पर मूल्यांकित कर ग्रेड दी जाएगी।
2. विद्यार्थी को 5 पाईन्ट स्केल के आधार पर विषयवार निम्नानुसार ग्रेड का श्रेणीकरण किया जाएगा।

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक निर्धारण	91–100	76–90	61–75	41–60	0–40

3. कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के आधार पर 100 में से अंक भिजवाने हैं। जिनसे उक्त 5 पाईंट स्केल के आधार पर ग्रेड दी जाएगी।

शाला प्रधानों हेतु विशेष अनुदेश :-

1. सत्रांक ऑनलाईन निर्धारित अवधि में भरने के पश्चात् उसकी प्रमाणित प्रति बाबत् निम्नानुसार कार्यवाही की जावे–

   (अ) बोर्ड परीक्षाओं (उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक शिक्षा) के सत्रांक की हार्ड कॉपी बोर्ड को नही भिजवानी है इसे शाला प्रधान अपने पास सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।

   (ब) आठवीं बोर्ड के सत्रांक की हार्ड कॉपी गत वर्ष के अनुसार सम्बन्धित जिले के डाईट को भिजवानी है। बोर्ड को कदापि नही भेजे।

2. **सत्रांक के अभाव में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम बिना किसी पूर्व सूचना (विषय कोड 79 को छोड़कर) शेष विषयों में अनुपस्थित अंकित कर परिणाम जारी कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।**
3. सत्रांकों में यदि कोई त्रुटि बाद में पाई गई तो शाला प्रधान इस हेतु व्यक्तिश: उत्तरदायी होंगे । इस हेतु उचित होगा कि आप सभी विषयाध्यापकों को एक साथ प्रशिक्षण देकर सादे कागज पर सत्रांक तैयार करवावें ताकि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होवे।
4. आप द्वारा ऑनलाईन सत्रांक भरने के उपरान्त उनमें रही त्रुटि में सुधार हेतु प्रक्रिया बिन्दु 10 में निर्धारित है। इसके उपरान्त भी संशोधन हेतु सूचना प्राप्त हुई तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/निदेशक (संस्कृत

शिक्षा) जयपुर को भी लिखा जायेगा एवं विभाग द्वारा दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्ति को बोर्ड के सभी पारिश्रमिक कार्यों से भी वंचित कर दिया जावेगा ।

5. परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त सत्रांक व ग्रेडिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टि में आये तो परीक्षार्थी के हित में सत्रांक व ग्रेडिंग में संशोधन पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इस हेतु संशोधन कराने के लिए आवेदन की तिथियाँ व शुल्क निम्नानुसार निर्धारित हैं -

(i) प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रू. 200/- सामान्य शुल्क सहित सत्रांक अथवा ग्रेड संशोधन के प्रकरण स्वीकार करने की अंतिम तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि से दो माह में।

(ii) उक्त बिन्दु–01 की तिथि विगत होने के पश्चात् प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रू. 200/- एवं रू. 200/- अतिरिक्त विलंब शुल्क सहित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन माह में।

(iii) उक्त तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में सत्रांक संशोधन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संशोधन हेतु शुल्क नकद राशि सहित तीनों सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की मूल अंकसूचियाँ व मूल उत्तर पुस्तकें प्रोजेक्ट कार्य फाईल, त्रुटि के सम्बन्ध में शाला प्रधान का स्पष्टीकरण, छात्र की बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल अंकतालिका, विद्यालयी परीक्षाओं हेतु आवंटित नामांक रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर आदि मूल प्रलेख सहित प्रकरण शाला प्रतिनिधि द्वारा सीधे बोर्ड की गोपनीय शाखा में प्रस्तुत किये जाने पर आवश्यक सत्यापन के बाद ही अपेक्षित संशोधन करना सम्भव हो पायेगा। बोर्ड द्वारा शाला प्रतिनिधि को कोई यात्रा/दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

6. सत्रांकों से संबंधित अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जाँच की जा सकती है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, शिक्षा विभाग प3 (3) शिक्षा-6/08 दिनांक 19.11.08 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर मानेटरिंग की जायेगी तथा मा.शि.बो. अजमेर द्वारा Random Sampling के आधार पर जाँचकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्पर्क सूत्र (कार्यालय समय) कार्य दिवस हेतु

(अ) बोर्ड परीक्षाओं/योजना आदि की जानकारी के लिये कार्यालय समय में दूरभाष संख्या–0145–2620739

(ब) कम्प्यूटर/ऑनलाईन/तकनीकि जानकारी हेतु आई.टी.शाखा के दूरभाष संख्या– 0145–2627454

(स) आठवीं बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी हेतु सम्बन्धित जिले की डाईट से सम्पर्क करें।

विशेष सूचना

ऑन लाईन प्रेषित सत्रांको की हार्ड कॉपी बाबत् :–

(अ) बोर्ड परीक्षाओं (उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय, माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक शिक्षा) के सत्रांक की हार्ड कॉपी बोर्ड की नही भिजवानी है इसे शाला प्रधान अपने पास सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।

(ब) आठवीं बोर्ड के सत्रांक की हार्ड कॉपी गत वर्ष के अनुसार सम्बन्धित जिले के डाईट को भिजवानी है। बोर्ड को कदापि नही भेजे।

(जी.के.माथुर)
निदेशक (गोपनीय)